कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम, मेरठ।

पत्रांक 5960/एमआर/क्षे0प्र0/जी–35/नीलामी/ठेके/18 दिनाँक 25-8-2018

ई–टेण्डर सूचना

निगम मुख्यालय के पत्रांकः–1118रोपी/17–117एफए/01–11 ठेकों की नीति दिनाँक–02.05.2017 एवं पत्रांक 2985 दिनाँक 18.10.2017 के अनुपालन में उ0प्र0परि0निगम, मेरठ क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न स्टेशनों पर रिक्त पडे/निकट भविष्य में रिक्त होने वाले ठेकों की नीलामी दिनाँक **05.09.2018** को होगी। सभी ठेको की नीलामी अस्थायी रुप से अधिकतम तीन वर्ष तक के लिये ई–टैन्डर प्रणाली के माध्यम से करायी जायेगी, इस हेतु टैन्डर फार्म आनलाईन प्राप्त किये जा सकते है। आनलाईन टैन्डर प्राप्त करने एवं इस कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि **05.09.2018** तक अपरान्ह 14:00 बजे तक है।

1. टैन्डर भरकर डाले जाने का दिनाँक 05.09.2018 समय 14:00 बजे तक।
2. टैन्डर खोले जाने का दिनाँक 05.09.2018 समय 15:00 बजे।

निविदा हेतु प्रस्तावित ठेके

क्रमांक	बस स्टेशन का नाम	ठेके का नाम	आरक्षित मूल्य रूपये प्रतिमाह (जी0एस0टी0 18% अतिरिक्त)
1.	सोहराबगेट	जलपान गृह	1,22,000.00

टैण्डरदाता को टैण्डर फार्म के साथ जमानत राशि के रुप में प्रतिमाह की दर के तीन गुना धनराशि का बैक ड्राफ्ट एवं अर्नेस्ट मनी के रुप में रू0–10,000/– का डिमांड ड्राफ्ट **REGIONAL MANAGER UPSRTC MEERUT** के नाम एवं चरित्र प्रमाण पत्र उक्त प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। इच्छुक निविदा दाता अपना टैण्डर भरकर निगम की वैबसाईड पर अपलोड कर सकते है। प्राप्त प्रस्तावों को उसी दिन प्रस्तावकों की उपस्थिति में सांय–15:00 बजे क्षेत्रीय समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। क्षेत्रीय समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत के उपरान्त सम्बन्धित निविदा दाता को आफर की गयी धनराशि एवं उसपर देय जी0एस0टी0 दर सहित विद्युत व्यय के साथ प्रत्येक माह निगम कोष में जमा करनी होगी। ऐसा न किये जाने पर पूर्व में जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा निविदा दाता का नाम काली सूची में अंकित कर दिया जायेगा। यह ठेका नियमावली–2009 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृत/अस्वीकृत किये जायेगे तथा स्टॉल किसी भी समय बिना किसी पूर्व नोटिस के समाप्त किया जा सकेगा। ठेकों के सम्मुख अंकित आरक्षित मूल्य 01 माह के लिये है।

किसी भी टैण्डर को अस्वीकार करने का अधिकार बिना कोई कारण बतायें सक्षम अधिकारी में निहित रहेगा। परिवहन निगम स्टॉल नियमावली–2009 के अन्तर्गत ठेका अवधि नियमानुससार तीन वर्ष होगी। नियमावली में उल्लिखित समस्त उपबन्ध एवं शर्ते उक्त ठेके पर लागू होगी।

क्षेत्रीय प्रबन्धक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को ई–मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन), उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. प्रधान प्रबन्धक (वाणिज्य एवं विपणन), उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता (पश्चिम), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. सहायक प्रबन्धक (एमआईएस) उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को वेबसाईट पर लोडिंग हेतु।
5. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम।
6. सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, मेरठ/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त), मेरठ।
7. स0क्षे0प्र0/स्टे0 अधीक्षक/कार्यशाला प्रभारी/नोटिस बोर्ड (इकाई), उ0प्र0परि0 निगम, मेरठ/सो0गेट/गढ/ बडौत/भैसाली।
8. tender@upsrtc.com
9. नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, मेरठ।

क्षेत्रीय प्रबन्धक।

Downloaded from www.upsrtc.com